

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 962 /2020 दिनांक 16.04.2020

श्रीमती प्रीति चौधरी (RJ0843), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई (टोंक) को दिनांक 10.02.2020 से 11.02.2020 तक 02 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 09.02.2020 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्रीमती चौधरी की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई (टोंक) ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई (टोंक) के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से
[Signature]
16.4.2020
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.2(4)/13/2015/ 2052

दिनांक : 16.04.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक को उनके पत्रांक 1249 दिनांक 13.02.2020 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती प्रीति चौधरी (RJ0843), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई (टोंक) ।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई (टोंक) ।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई (टोंक) ।

[Signature]
16.4.2020
सहायक रजिस्ट्रार